अनवान

भंवरसिह वगैरा बनाम सरकार

दिनांक 21–04–2022

वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवश्यक सुनवाई प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज तारीख पेशी पर ली गई । अपीलान्ट अधिवक्ता श्री रोशनलाल एवं राजकीय अधिवक्ता श्री नवल सिह दहिया उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा प्रकरण संख्या ..../2018 अनवाऩ भंवर सिह वगैरा बनाम सरकार मे पारित आदेश दिनांक 20–7–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां के समक्ष तहसीलदार ओसियां ने राज्य सरकार द्वारा रास्तो की समस्याओं के समाधान हेतु चलाये गये अभियान के तहत एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसमे अपीलांट के खातेदारी गांव जाखडो की ढाणी स्थित खसरा नंबरान क्रमशः 799 मे से 0.10 बिस्वा, खसरा नबर 801/13 मे से 01.01 बीघा, खसरा नंबर 796/12 मे से 0. 14 बिस्वा, खसरा नंबर 796/1 मे से0.11 बिस्वा, खसरा नंबर 795 मे से 0.16 बिस्वा तथा खसरा नंबर 793 मे से 1.14 बीघा भूमि गै.मु.रास्ते के रूप मे दर्ज किये जाने की अनुशंषा का प्रस्ताव प्रेषित किया । जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने मौके पर रास्ता होने की जांच कराये बिना तथा अपीलांटगण खातेदारान को बिना सूचित किये अपीलांटगण के खातेदारी मे से रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया, जबकि किसी भी खातेदार की सहमति के बिना उसके खातेदारी मे से गै0मु0रास्ता घोषित नही किया जा सकता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि राज्य सरकार के रास्तो सम्बधी जारी परिपत्र मे भी सुनवाई का अवसर देने के निर्देश होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के परिपत्रों एवं वधिक प्रावधानो को अनदेखा करते हुए जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह विधि एवं न्याय संगत नही होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया। अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश

को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड कि जाने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा रास्तो के संबंध मे चलाये गये अभियान के तहत ऐसे रास्ते जो मौके पर जन उपयोग के लिए चालू है परंतु उनका राजस्व अभिलेख मे अंकन नही है, ऐसे रास्तो को चिन्हित कर उनका राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने के संबंध मे राज्य सरकार द्वारा रास्ते के सम्बंध मे जारी परिपत्र की पूर्ण पालना की गई हे। प्रशासन गावो के सग अभियान मे रास्ते सम्बधी समस्याओ का अधिक से अधिक समाधान करने की सरकार की मंशा होती है जिससे आम जनता को आवागमन मे आसानी हो सके उसके अनुरूप ही कैम्पो मे रास्तो का निस्तारण किया जाता है इसलिए उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को विधिसम्मत बताते हुए अपीलान्ट की उक्त अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–7–2018 का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रकट किये गये कथनो पर मनन किया । जिसके अनुसार प्रस्तुत प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्ट खातेदारान को नोटिस जारी कर उनको सुनवाई का अवसर दिये तथा उनकी सहमति के बिना अपीलाधीन आदेश के द्वारा उनके खातेदारी भूमि मे गै0मु0रास्ता दर्ज कर दिया गया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने से समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

परिणामस्वरूप अपीलान्टगण की उक्त अपील आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 20–7–2018 मे इस आशय के अतिरिक्त निर्देश दिये जाते है कि अपीलान्टगण खातेदारान को सुनवाई का नोटिस जारी कर, उसे सुनकर, उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण आदि करते हुए एक माह मे अपीलान्टगण के खातेदारी की भूमि मे से रास्ते के सम्बध मे पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। तब तक अपीलाधीन आदेश मे उल्लेखित अपीलान्ट्स के उक्त खातेदारी खसरों की भूमि के सम्बध मे किसी तरह की कार्यवाही नही करे। इस अतिरिक्त निर्देश के साथ उक्त अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया। प्रार्थनापत्र शामिल पत्रावली हो ।